

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 126

माननीय विधायक श्री रामपाल सिंह जी से प्राप्त पत्रों पर कृत कार्यवाही

क्र.	पत्र कहीं से प्राप्त हुआ	मान. विधायक जी से प्राप्त पत्र	कार्यालय में पत्र प्रेषित दिनांक	विषय	विभाग द्वारा कृत कार्यवाही	उत्तर प्रेषित करने का संदर्भ	रिमांक
1	माननीय श्री रामपाल सिंह जी विधानसभा क्षेत्र 143 सिलवानी जिला रायसेन	134	07.10.2019	2 रामपुरटोला के व्यवस्थापन के संबंध में	विभाग द्वारा कृत कार्यवाही	8	9
2	माननीय श्री रामपाल सिंह जी विधानसभा क्षेत्र 143 सिलवानी जिला रायसेन	690	15.12.2019	नगपुरा नगझिरी जलाशय रामपुरटोला के व्यवस्थापन के संबंध	रायसेन जिले के विकासखण्ड सिलवानी के अन्तर्गत नगपुरा नगझिरी जलाशय के डूब प्रभावित रामपुर टोला के 17 परिवारों के मकान जलाशय के अधिकतम जलस्तर (एम.डब्ल्यू.एल) के ऊपर हैं परन्तु तीन और से पानी से घिरा होने के कारण उन मकानों का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से करा लिया गया है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1751/माचि/2021 रायसेन दिनांक 19/07/2021 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मू अर्जन अधिकारी सिलवानी को 17 मकानों 3180.00 वर्ग मीटर क्षेत्र की राशि रु. 70,65,600.00 का गणना पत्रक तैयार कर कलेक्टर महोदय, रायसेन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 220 दिनांक 05.01.2021 एवं प्रकरण कलेक्टर महोदय रायसेन द्वारा मू-अर्जन अधिकारी सिलवानी को भेजा गया है। मू-अर्जन अधिकारी सिलवानी द्वारा चाही गयी जानकारी कार्यालयीन पत्र क्र. 842/दिनांक 10.03.2023 द्वारा प्रेषित की गयी है। जलाशय के अधिकतम जलस्तर (एम.डब्ल्यू.एल) के ऊपर होने के कारण शासन से अनुमति चाही गयी है। शासन से स्वीकृत होने के उपरान्त मुगतान की कार्यवाही की जावेगी।	रायसेन जिले के विकासखण्ड सिलवानी के अन्तर्गत नगपुरा नगझिरी जलाशय के डूब प्रभावित रामपुर टोला के 17 परिवारों के मकान जलाशय के अधिकतम जलस्तर (एम.डब्ल्यू.एल) के ऊपर हैं परन्तु तीन और से पानी से घिरा होने के कारण उन मकानों का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से करा लिया गया है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1751/माचि/2021 रायसेन दिनांक 19/07/2021 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मू अर्जन अधिकारी सिलवानी को 17 मकानों 3180.00 वर्ग मीटर क्षेत्र की राशि रु. 70,65,600.00 का गणना पत्रक तैयार कर कलेक्टर महोदय, रायसेन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 220 दिनांक 05.01.2021 एवं प्रकरण कलेक्टर महोदय रायसेन द्वारा मू-अर्जन अधिकारी सिलवानी को भेजा गया है। मू-अर्जन अधिकारी सिलवानी द्वारा चाही गयी जानकारी कार्यालयीन पत्र क्र. 842/दिनांक 10.03.2023 द्वारा प्रेषित की गयी है। जलाशय के अधिकतम जलस्तर (एम.डब्ल्यू.एल) के ऊपर होने के कारण शासन से अनुमति चाही गयी है। शासन से स्वीकृत होने के उपरान्त मुगतान की कार्यवाही की जावेगी।	कार्यापालन यंत्री रायसेन
3	माननीय श्री रामपाल सिंह जी विधानसभा क्षेत्र 143 सिलवानी जिला रायसेन	121	07.01.2021	नगपुरा नगझिरी के डूब प्रभावितों के व्यवस्थापन के संबंध में।	रायसेन जिले के विकासखण्ड सिलवानी के अन्तर्गत नगपुरा नगझिरी जलाशय के डूब प्रभावित रामपुर टोला के 17 परिवारों के मकान जलाशय के अधिकतम जलस्तर (एम.डब्ल्यू.एल) के ऊपर हैं परन्तु तीन और से पानी से घिरा होने के कारण उन मकानों का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से करा लिया गया है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1751/माचि/2021 रायसेन दिनांक 19/07/2021 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मू अर्जन अधिकारी सिलवानी को 17 मकानों 3180.00 वर्ग मीटर क्षेत्र की राशि रु. 70,65,600.00 का गणना पत्रक तैयार कर कलेक्टर महोदय, रायसेन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 220 दिनांक 05.01.2021 एवं प्रकरण कलेक्टर महोदय रायसेन द्वारा मू-अर्जन अधिकारी सिलवानी को भेजा गया है। मू-अर्जन अधिकारी सिलवानी द्वारा चाही गयी जानकारी कार्यालयीन पत्र क्र. 842/दिनांक 10.03.2023 द्वारा प्रेषित की गयी है। जलाशय के अधिकतम जलस्तर (एम.डब्ल्यू.एल) के ऊपर होने के कारण शासन से अनुमति चाही गयी है। शासन से स्वीकृत होने के उपरान्त मुगतान की कार्यवाही की जावेगी।	कार्यापालन यंत्री रायसेन	


 और सचिव
 जल संसाधन संगम रायसेन

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग